समाहरणालय, मधुबनी (बिहार)

Collectorate, Madhubani

06276-222217 (off.)
06276-222218(Res)/222209(Fax)

E-mail:-dm-madhubani.bih@nic.in
Web:- https://madhubani.nic.in

(जिला स्थापना शाखा)

–: आ दे श :–

भारत–नेपाल (जयनगर–बर्दीवास) निर्माणाधीन रेलमार्ग के जयनगर में रेलवे स्टॉफ क्वार्टर के निर्माण हेतु लीज पर ली गई जमीन पर स्थानीय नागरिकों द्वारा अतिक्रमित कर लिए जाने पर गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र के आलोक में पत्र संख्या–587/जि0भू–अर्जन, दिनांक–22.07.2015 के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जयनगर एवं अंचल अधिकारी, जयनगर को आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से अवगत कराने हेतु निदेशित किया गया था। जिसे श्री राजीव कुमार, प्रभारी लिपिक, अंचल कार्यालय, जयनगर के द्वारा पत्र/अभिलेख का उपस्थापन ससमय नहीं करने एवं कर्त्तव्य के निर्वहन में लापरवाही एवं अनियमितता बरतने के आरोप में श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में आरोप गठित कर भेजा गया। जिसे इस कार्यालय के पत्रांक–1260/जि0स्था0 दिनांक–18.07.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), मधुबनी एवं उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में अंचल अधिकारी, जयनगर की नियुक्ति की गयी तथा संचालन पदाधिकारी को 90 दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही का विधिवत संचालन कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। जिसके आलोक में अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, मधुबनी के पत्रांक–434/वि0जाँ0, दिनांक–24.11.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के उपरान्त अभिलेखबद्ध जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ भेजी गयी। जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री राजीव कुमार के विरूद्ध आरोप प्रमाणित किया गया।

अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), मधुबनी–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर इस कार्यालय के ज्ञापांक–62/जि0स्था0 दिनांक–21.01.2017. द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–18(3) के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति भेजते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया । उनके द्वारा अपने बचाव में बनावटी एवं मनगढ़ंत बातों का उल्लेख किया गया, जो तथ्यहीन एवं आधारहीन है। श्री कुमार के द्वारा ससमय पत्र एवं अभिलेख को पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया। फलतः विभागीय निदेश का अनुपालन ससमय नहीं हो सका। इस प्रकार प्रपत्र–'क' में गठित आरोप प्रमाणित पाये जाने पर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–3(i,ii,iii) (यथा समय–समय पर संशोधित) में निहित निर्देश का पूर्ण उल्लंघन करने पर श्री राजीव कुमार, तत्कालीन प्रभारी प्रधान लिपिक, अंचल कार्यालय, जयनगर सम्प्रति–अनुमंडल कार्यालय, सदर मधुबनी;को सम्यक विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली– 2005 के नियम– 14 के कंडिका– क(V) यथा समय–समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानानुसार तत्कालीन जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, मधुबनी द्वारा आदेश ज्ञापांक–813 दिनांक–03.06.2017 द्वारा आदेश निर्गमन की तिथि से 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड दिया गया तथा इसकी प्रविष्टि श्री कुमार के सेवापुस्त में लाल स्याही से अंकित करने का निदेश दिया गया।

K-R-DMSAHEB-2021-1

उक्त आदेश के विरूद्ध श्री राजीव कुमार तत्कालीन प्रभारी प्रधान लिपिक, अंचल कार्यालय, जयनगर समप्रति अनुमंडल कार्यालय, सदर मधुबनी द्वारा आयुक्त न्यायालय में सेवा अपील वाद सं0– 13/2017 दायर किया गया। आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक–1659 दिनांक–03.04.2021 द्वारा आयुक्त न्यायालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत निष्पादित सेवा अपील वाद संख्या–13/2017 राजीव कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य वाद में 16.03.2021 को आयुक्त महोदय द्वारा पारित अंतिम आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई है, जिसमें आयुक्त महोदय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त नैसर्गिक न्यायहित में श्री कुमार द्वारा प्रस्तुत अपीलवाद को स्वीकृत करते हुए जिला दण्डाधिकारी, मधुबनी द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक–813/जि0स्था0, मधुबनी दिनांक–03.06.2017 को रद्द करने की कृपा की गयी है।

अतएव आयुक्त, दरभंगा, प्रमंडल दरभंगा द्वारा उक्त वर्णित आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी इस आशय की सूचना श्री कुमार के सेवापुस्त में अंकित करते हुए नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी सम्बद्ध को सूचित करें।

ह0—
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

ज्ञापांक–XIX-02/16&17.......... /जि0स्था0, मधुबनी, दिनांक 15/03/2021 ई0।

प्रतिलिपि :– श्री राजीव कुमार, तत्कालीन प्रधान लिपिक, अंचल कार्यालय, जयनगर सम्प्रति–अनुमंडल कार्यालय, सदर, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, जयनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी को आयुक्त महोदय द्वारा पारित आदेश की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, मधुबनी/अपर समाहर्त्ता, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को उनके पत्रांक–1659, दिनांक–03.04.2021 को प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

15/3/21
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी

K-R- DMSAHEB-2021-2